<u>सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध/महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-34/2016/वी0आई0पी0-17/एक-6-2016-ए0क्यू0-01(01)/2007</u>

प्रेषक,

धनलक्ष्मी के0,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2016**

विषय: राजकीय आस्थान की भूमि को नजूल की भूमि की तरह फ्री-होल्ड किये जाने हेतु नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-166/जी-11-129/02, दिनांक 09-10-2015 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-492/एक-6-2016-ए0क्यू0-01(01)/2007, दिनांक 16 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व परिषद से राजकीय आस्थान की भूमि को नजूल की भूमि की तरह फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध (फ्री-होल्ड) से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली-2015 के प्रारूप का माडल ड्राफ्ट का प्रदेश में पर्याप्त परिचालन वाले 02 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में उक्त का प्रकाशन हिन्दी समचार पत्र" दैनिक जागरण" में दिनांक 24 मई, 2016 को राजस्व परिषद द्वारा कराया गया है।

2- श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 31-5-2016 छायाप्रति संलग्न द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय आस्थान की भूमि प्रदेश के कई जिलों में है। राजस्व परिषद द्वारा नई नियमावली का जो प्रकाशन कराया गया है, उससे इलाहाबाद सहित अन्य जिलों के सम्बन्धित लोगों को जानकारी अभी नहीं है। उनके द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में हिन्दी/उर्दू के दो प्रमुख समाचार पत्रों में नियमावली -2015 का प्रकाशन कराकर प्रकाशन की तिथि से 15 दिन में आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमवाली का माडल ड्राफ्ट प्रदेश के हिन्दी/उर्दू के 02 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की 05-05 प्रतियॉ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त नियमावली, 2015 का उर्दू भाषा में प्रकाशन कराये जाने हेतु भाषा विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा अनुवाद तैयार किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

<u>संलग्नक: यथोपरि ।</u>

भवदीय,

(धनलक्ष्मी के0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in